राज्य सूचना आयोग के आदेश पर रोक

छत्तीसगढ़ संवाददाता

बिलासपुर,5 सितंबर। हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग के आदेश पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी किया है। डिवीजन बेंच के आदेश के बाद भी आयोग ने एक मामले में जानकारी देने के निर्देश दिए थे। जस्टिस सतीश अग्निहोत्री की सिंगल बेंच ने इस पर स्थगन आदेश जारी किया।

धमतरी जिले के मगरलोड जनपद निवासी हेमंत देवांगन ने वर्ष 2007 में हुई शिक्षाकर्मियों की भर्ती के संबंध में जनपद पंचायत से जानकारी मांगी थी। जनपद पंचायत ने इस आधार पर जानकारी देने में असमर्थता जताई कि ऐसी ही जानकारी कृष्णकुमार ध्रुव ने भी मांगी थी जिस पर हाईकोर्ट से स्थगन मिला हुआ है। कोर्ट से कोई आदेश जारी होने के बाद जानकारी दी जा सकती है। इस पर हेमंत देवांगन ने जिला पंचायत में अपील की, वहां से खारिज होने के बाद राज्य सूचना आयोग के समक्ष अपील कर दी। आयोग ने 10 मार्च 2010 को आदेश दिया कि आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध करा दी जाए और मामले को अंतिम बहस के लिए आगे बढ़ा दिया।

सूचना आयोग के इस आदेश के खिलाफ जनपद पंचायत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि आयोग का आदेश गलत है। पहले ही जानकारी दे देने से अंतिम बहस का कोई अर्थ नहीं रहेगा। सिंगल बेंच ने याचिका खारिज कर दी। इसके बाद जनपद की ओर से डिवीजन बेंच में अपील की गई। डीबी ने सुनवाई के बाद याचिका स्वीकृत कर आयोग द्वारा जानकारी उपलब्ध कराने के आदेश को निरस्त करते हुए उसे जल्द निपटाने का आदेश भी दिया। इसके बाद आयोग ने 27 जुलाई 2010 को एक बार फिर पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश देते हुए अंतिम बहस के लिए तारीख तय कर दी। इसके खिलाफ जनपद पंचायत ने वकील सुनीता जैन के माध्यम से एक बार फिर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सूचना देने के आदेश पर रोक लगाते हुए आयोग, आवेदक हेमंत देवांगन सहित अन्य को नोटिस जारी किया है। इस पर सहकारिता मंत्री ने समिति को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इसके खिलाफ समिति ने वकील जितेंद्र पाली, वरुण शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि हटाए गए सदस्य किसी समिति के खिलाफ सीधे मंत्री के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत नहीं कर सकते। साथ ही ऐसे मामलों में सहकारिता अधिनियम की धारा ५३-१ के तहत सिर्फ रजिस्ट्रार को कार्रवाई का अधिकार है, मंत्री को नहीं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मंत्री द्वारा की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाते हुए प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है।

बैगा-गुनिया के चक्कर में बालिका की मौत

छत्तीसगढ़ संवाददाता

कांकेर, 5 सितंबर। एक 6 वर्षीय बालिका की अज्ञात कारणों से बुधवार की शाम को मृत्यु हो गई। जांच करने पहुंची पुलिस के अनुसार प बालिका की मौत जहरीले कीड़े या सांप के काटने होने की आशंका जाहिर करते हुए स्पष्ट कारणों का पता पीएम रिपोर्ट से ही चलने की बात कह रही है।

ग्राम कुल्हाडकट्टा कोर्रामपारा निवासी रजनी छै:वर्षीया बुधवार की सुबह जब उठी तो उसे ठीक नही लग रहा था जिसकी जानकारी उसने परिजनों को दी। परिजन उसे पास गांव के एक बैगा के पास ले गये जहां शाम को उसकी मृत्यु हो गई। लड़की का हाथ नीला पड़ गया जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि मंगलवार की रात बालिका को नींद में ही किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया होगा और समय पर सही उपचार ना मिलने के कारण रजनी की मृत्यु हो गई। सही कारणों का पता पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद तथ्य स्पष्ट हो पायेगा।

कुरुद महाविद्यालय आज जिन बुलंदियों को छू रहा है उसका पूरा श्रेय पूर्व उच्चशिक्षा मंत्री अजय चन्द्राकर को जाता है। उक्त विचार नगर पंचायत अध्यक्ष ज्योति चंद्राकर ने छात्र परिषद् का शपथ ग्रहण समारोह पर व्यक्त किये। अध्यक्ष रोशनी साहू, उपाध्यक्ष लोमेश्वरी साहू, सचिव वन्दना साहू, सहसचिव नोरज देवांगन को शपथ दिलाई गई।

सहकारिता मंत्री के आदेश पर रोक

बिलासपुर,5 सितंबर। सहकारी गृह निर्माण समिति के मामले में प्रदेश के सहकारिता मंत्री की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। सहकारिता मंत्री द्वारा की जा रही सुनवाई के खिलाफ समिति ने याचिका दायर कर कहा था कि उन्हें इस तरह की कार्रवाई का अधिकार ही नहीं है।

दुर्ग-भिलाई की स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था का 14 जनवरी 2007 में चुनाव होने के बाद 11 संचालक चुने गए थे। इनमें से तीन सदस्यों एसआर शर्मा, एसके दास, दिलीप रायचौधरी को बाद में गड़बड़ी करने पर छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 19-सी के तहत प्रस्ताव पारित कर समिति से हटा दिया गया। इसके लिए नियमानुसार तीन चौथाई सदस्यों की सहमति थी। तीनों ने इस कार्रवाई के खिलाफ उप पंजीयक सहकारी समिति से शिकायत की, जिस पर उप पंजीयक ने सोसायटी को सहकारिता अधिनियम के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें सोसायटी भंग करने की चेतावनी दी गई थी। सोसायटी के जवाब के आधार पर उप पंजीयक ने कार्रवाई को स्थगित कर दिया।

इस पर धारा 78 के तहत तीनों ने रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे रजिस्ट्रार ने पुनरीक्षण के लिए संयुक्त पंजीयक के समक्ष भेज दिया। सुनवाई के बाद संयुक्त पंजीयक ने याचिका को खारिज कर दिया। इसके खिलाफ तीनों सदस्यों ने सहकारिता मंत्री ननकीराम कंवर के समक्ष सहकारिता अधिनियम की धारा 80 के तहत आवेदन कर समिति के संचालकों के खिलाफ जांच का निवेदन किया। सुनवाई के दौरान ही उक्त लोगों ने धारा 53-1 के तहत एक और आवेदन संस्था को भंग कर उनकी जगह तीनों याचिकाकर्ताओं को नियुक्त करने के लिए प्रस्तुत किया।

फिजियोथेरेपिस्ट बनकर सेवा दे रहा था एनएमए

दी गई तनख्वाह वसूलेगा शासन

छत्तीसगढ़ संवाददाता

राजनांदगांव,5 सितम्बर। लंबे समय से कथित तौर पर फिजियोथेरेपिस्ट टेक्नीशियन बन कर उसी पद के वेतनमान का लाभ ले रहे एक स्वास्थ्य कर्मी से विभाग ने भुगतान की गई राशि वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्थानीय जिला चिकित्सालय में पदस्थ ईश्वरी सोनी के खिलाफ विभाग ने लगभग 98 हजार रूपये उनके वेतन से कटौती करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।

विभागीय सूत्रों के अनुसार ईश्वरी सोनी मूलत: एनएमए (नॉन मेडिकल असिस्टेंट) कैडर का कर्मचारी है। यह पद महिला एवं पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता पद के समान होता है, साथ ही वेतनमान भी लगभग एक है। विभागीय स्तर पर फिजियोथेरेपिस्ट की ट्रेनिंग के बाद श्री सोनी ने स्वयं को रेगुलर टेक्नीशियन घोषित कर दिया था। बाद में विभाग से उन्होंने इसी आधार पर वेतन लेना प्रारंभ कर दिया। मजे

की बात यह है कि विभाग इस मामले में बिल्कुल आंख बंद करके उक्त कर्मचारी को भुगतान भी कर रहा था। एक महिला कर्मचारी ने संगठन के माध्यम से विभाग की आंख खोली। देर-सबेर विभाग ने इस मामले की जांच शुरू की। जांच में उक्त कर्मी द्वारा बेजा तरीके से भुगतान लिये जाने का मामला सामने आया। यह खेल पिछले 3 वर्षों से चल रहा था। सूत्रों के मुताबिक कई बार वीआईपी दौरों में भी उक्त कर्मी को चिकित्सक बनाकर ड्यूटी में भी तैनात किये जाने की जानकारी मिली है।

गौरतलब है कि प्रोटोकॉल के मुताबिक एमबीबीएस स्तर के ही चिकित्सकों की सेवा लिये जाने का प्रावधान है। लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने लापरवाही बरतते हुए उक्त कर्मी को वीआईपी दौरों में भी भेजा है। इधर उक्त कर्मी को अंडर ट्रेनिंग में भी बताया जा रहा है। लगभग 2 साल से वह यहीं पदस्थ है जबकि उसे अदालत से भी स्टे नहीं मिला है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल उक्त कर्मी को कांकेर में शासन ने स्थानांतरित किया था। अब तक उक्त कर्मी को रिलीव नहीं किया गया है। स्वास्थ्य महकमे से हुई इस चूक को लेकर जांच की मांग की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भर्राशाही का इसे एक छोटा नमूना भी बताया जा रहा है।

बिलासपुर में नहीं होगी गुड्स गार्ड की परीक्षा

बिलासपुर,5 सितंबर। गुड्स गार्ड एवं इंक्वायरी कम कमर्शियल क्लर्क की परीक्षा अब बिलासपुर में नहीं होगी। 26 सितंबर को ही परिवहन आरक्षक की परीक्षा होने के कारण रेलवे भर्ती बोर्ड को सेंटर बदलना पड़ा है। अब यह परीक्षा रायपुर और नागपुर में होगी, जिसमें 32 हजार उम्मीदवार शामिल होंगे। परीक्षा में बिलासपुर से 16 हजार उम्मीदवार शामिल होने वाले हैं जिन्हें अब नागपुर की तक जाना पड़ेगा।

गुड्स गार्ड के 1402 और इंक्वायरी कम कमर्शियल क्लर्क के 147 पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए देश के 14 आरआरबी में 26 सितंबर को लिखित परीक्षा आयोजित होने वाली है। बिलासपुर आरआरबी की परीक्षा समस्याओं से घिर गई है। इसी दिन राज्य व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) ने परिवहन आरक्षक के लिए परीक्षा आयोजित की है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने गुड्स गार्ड एवं कमर्शियल क्लर्क की परीक्षा के लिए बिलासपुर और रायपुर में 47-47 परीक्षा केंद्र बनाए थे। इधर, व्यापमं ने परिवहन आरक्षक की परीक्षा के कारण शहर के सभी स्कूलों को सेंटर बना लिया है, लिहाजा रेलवे भर्ती बोर्ड के सामने परीक्षा केंद्र की समस्या है। आखिरकार बिलासपुर रेलवे भर्ती बोर्ड ने गुड्स गार्ड और कमर्शियल क्लर्क की परीक्षा के लिए बिलासपुर के बजाय नागपुर में सेंटर बनाने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं, रायपुर में भी सेंटरों की संख्या घटा दी गई है। एसईसीआर के सीपीआरओ मनीष अवस्थी ने बताया कि अब रायपुर में 47 के बजाय 30 सेंटर ही बनाए गए हैं। इसके अलावा नागपुर में 60 सेंटर होंगे। रायपुर के सेंटरों में 9हजार तो नागपुर में 23 हजार परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई है।

छात्रा ने खुदकुशी की

कुरूद,5 सितंबर। त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग के चलते कल एक छात्रा ने घर में फाँसी लगाकर मौत को गले लगा लिया। मृतका ने अपने सुसाइडल नोट में इस बात की खुलासा करते हुए परिजनों को परेशान ना करने की गुहार पुलिस से लगाई है ।

पुलिस के अनुसार कुरूद थाना क्षेत्र के ग्राम खपरी (बंगोली) निवासी सुखचैन की बेटी 15 वर्ष कक्षा नवमीं की छात्रा थी। 4 सितंबर की सुबह 11:30 बजे उसने अपने घर फाँसी लगा ली। मौके पर पहुंची पुलिस को लाश के पास एक सुसाइडल नोट मिला है ।

सेवानिवृत्त प्राचार्य को एरियर्स देने का आदेश

बिलासपुर,5 सितंबर। हाईकोर्ट ने एक सेवानिवृत्त प्राचार्य को एरियर्स के भुगतान का आदेश दिया है। अवमानना याचिका दायर होने के बाद विभाग ने प्राचार्य को प्रमोशन के अनुसार सेवानिवृत्ति लाभ देने का आदेश दिया लेकिन एरियर्स नहीं दिया था।

महासमुंद जिले के मोंगरापाली के हाईस्कूल में प्राचार्य बीके दीवान ने गलत तरीके से प्रमोशन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि वरिष्ठता सूची में नाम होने के बाद भी उनके जूनियर को प्रमोशन दे दिया गया। इसी बीच प्राचार्य 31 मई 2005 को रिटायर भी हो गए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने विभाग को आदेश दिया था कि अभ्यावेदन का नियमानुसार निराकरण करें। निर्धारित अवधि में भी अभ्यावेदन पर कार्रवाई न होने पर प्राचार्य ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। कोर्ट का अवमानना नोटिस मिलते ही विभाग ने उन्हें प्रमोशन और इसके तहत मिलने वाले लाभ दे दिए लेकिन एरियर्स नहीं दिया। इसके खिलाफ प्राचार्य ने दोबारा याचिका दायर की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्राचार्य को एरियर्स का लाभ देने का भी आदेश दिया।

धोखाधड़ी में पूर्व सरपंच-सचिव जेल गए

शासकीय राशि के फर्जी आहरण का मामला

बिलासपुर,5 सितंबर। फर्जी सील एवं हस्ताक्षर करके ढाई लाख की राशि निकालने वाले पूर्व सरपंच एवं सचिव को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। वहां उन्हें जेल भेज दिया गया है।

थाना पथरिया से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम खपरी कोंगपुर के पूर्व सरपंच मालिकराम खूंटे तथा सचिव सोन सिंह द्वारा वर्ष 2009 में डब्ल्यूबीएम सड़क निर्माण के नाम पर फर्जी ढंग से चेक में हस्ताक्षर कर और सील का दुरूपयोग कर स्टेट बैंक से ढाई लाख रूपए निकालने का मामला सामने आया था। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने मामले में थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। पुलिस मामले को जांच कर रही थी अंतत: आज पूर्व सरपंच मालिराम खूंटे और सचिव सोनसिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया। वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।

12 वीं नहीं तो 5 वीं पास भी मान्य

कुल 1661 आंगनबाड़ियों के रिक्त पदों पर होगी भर्ती

छत्तीसगढ़ संवाददाता

बिलासपुर,5 सितंबर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए शिक्षित महिलाओं की कितनी कमी है, यह इसके लिए निर्धारित योग्यता से पता चलता है। कार्यकर्ता के लिए शैक्षणिक योग्यता 12 वीं पास है, लेकिन इस हेतु योग्य महिला पात्र न मिलने पर 10 वीं पास, यह न मिलने पर 8 वीं पास और आठवीं पास महिला के न मिलने पर 5 वीं पास और ऐसी महिला न मिलने पर यदि महिला सिर्फ साक्षर हो तो भी उस महिला की नियुक्ति की जाएगी।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नई खुलने वाली आंगनबाड़ियों में कार्यकर्ताओं की भर्ती की जाएगी। इसके पहले चरण में पूर्व से कार्यरत सहायिकाओं को कार्यकर्ता के पद पर नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दूसरे चरण में सीधी भर्ती की प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू होगी।

महिला एवं बाल विकास विभाग में आईसीडीएस के तहत रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति मिल गई है। स्वीकृति मिलने से बिलासपुर जिले के अंतर्गत आने वाली आंगनबाड़ियों और मिनी आंगनबाड़ियों में कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले के अंतर्गत आने वाली 785 अतिरिक्त आंगनबाड़ी एवं 91 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 784 कार्यकर्ताओं और 876 सहायिका सहित कुल 1661 पदों पर लोगों की भर्ती शुरू हो गई है।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के निर्देशन में भर्ती होंगी, इस हेतु जिला अधिकारी ने भर्ती का रोस्टर भी तैयार कर दिया है। नियुक्ति दो चरणों में होगी। कार्यकर्ता एवं सहायिका पद के लिए निर्धारित पत्र में आवेदन परियोजना कार्यालय में जमा करना होगा।

मेरिट के आधार पर होने वाली नियुक्ति की प्रक्रिया 108 दिनों में पूरी होगी। सभी पदों के लिए किसी भी प्रकार का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।

प्रथम चरण होने वाली प्रक्रिया में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाली सहायिका को 25 फीसदी केंद्रों में खोले जाने वाले आंगनबाड़ियों में सीधे पदोन्नति दी जाएगी। आवेदन करने की समयावधि 1 से 15 सितंबर रखी गई है।

मूल्यांकन समिति द्वारा अंतिम योग्यता सूची 16 से 25 सिंतबर तक जारी की जाएगी। साथ ही चयन समिति द्वारा अनुमोदन 24 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच किया जाएगा। पदों पर नियुक्ति आदेश 21 से 30 नवंबर के बीच जारी किया जाएगा।

सैलानी की डायरी

आसमान से धरती का नजारा

फ्रांसीसी पत्रकार, छायाकार, रिपोर्टर, और पर्यावरणविद् यान आर्थस बर्ट्रेन्ड ने 5 बरसों तक 6 महानगरों में हवा में उड़ते हुए तस्वीरे लीं। 'अर्थ फ्रॉम अबव' नाम के उनके इस प्रोजेक्ट में धरती में बड़े लैंडस्केप्स की शानदार तस्वीरें हैं, जो हमारे ग्रह की बदलती परिस्थितियों की कहानी कहती हैं।

मिस्त्र में रेगिस्तान में हरे भरे प्रदेश सिवा में स्थित शहर शाली 13 वीं सदी में बसा और 1926 तक आबाद रहा। इस साल तीन दिनों के लगातार बारिश ने इसे तबाह कर दिया। इसके मकान कुछ दशकों तक चलने लायक बनाए गए थे हल्की बारिश होने पर जिनकी मरम्मत कर दी जाती यह मकान नमक और मिट्टी से बने थे, और पानी के आगे बहुत कमजोर थे सिवा के धरातल से 60 मीटर ऊंचा उठा हुआ शहर था। यह बहुत खूबसूरत शहर रहा होगा, आज भी है, लेकिन इसके 5 मंजिला मकानों में से एक भी अब नहीं बचा। दिलचस्प बात यह है कि कुछ मकानों में लोग अब भी रहते हैं।

पाठक इस कॉलम के लिए दुनिया भर की तस्वीरें भेज सकते हैं। अगर तस्वीर उनकी खीचीं हुई हो तो उसका जिक्र करें।
pix.chhattisgarh@gmail.com

जामगांव क्षेत्र में अब भी पीड़ित हैं उल्टी दस्त से ग्रामीण

कोरर स्वास्थ्य केंद्र के दोनों डॉक्टरों के प्रशिक्षण में चले जाने से व्यवस्था गड़बड़ाई

छत्तीसगढ़ संवाददाता

कांकेर, 5 सितंबर। भानुप्रतापपुर विकास खंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम जामपारा में विगत दिवस एक लड़की के उल्टी-दस्त से मृत्यु हो जाने के बाद स्वास्थ्य अमला सजग हुआ और डा0एके ध्रुव, बीएलओ भानुप्रतापपुर के नेतृत्व में 29 अगस्त को स्वास्थ्य शिविर लगाकर इलाज किया गया। जिसके बाद 2 सितंबर को एक और बच्चे के अत्यधिक उल्टी-दस्त से पीड़ित होने पर उसे कोरर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया जहां कि ठीक नही होने पर उक्त बच्चे को भानुप्रतापपुर गौतम अस्पताल में भर्ती किया गया।

स्वास्थ्य विभाग को पुन: बीमारी फैलने की जानकारी होते ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोरर के डॉ. मंडावी अपने स्टाप के साथ जामपारा में स्वास्थ्य शिविर लगाकर इलाज कर रहे हैं। डॉ.मंडावी ने चर्चा के दौरान बताया कि साधारण बुखार के 18 मरिजों का तथा दो उल्टी-दस्त वाले मरिजों को दोपहर एक बजे तक इलाज किया गया है तथा चार सितंबर को भी शिविर लगाकर इलाज करने की जानकारी दी गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हाटकर्रा के डॉ.एसएस नाग ने जानकारी देते हुए बताया कि 27 अगस्त को ग्राम तरांदूल में स्वास्थ्य शिविर लगाकर लगभग 150 मरीजों को इलाज किया गया तथा एएनसी चेक किया गया तथा कन्या आश्रम प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला के छात्र-छात्राओं का भी स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोरर के डॉ.स्निग्धा दास एवं डॉ.प्रशांत का एक साथ सेक्टर 9 में प्रशिक्षण हेतु भेज देने से कोरर अस्पताल की व्यवस्था गडबड़ा गई है। इससे अंचल के लोग काफी नाराज है। कोरर में डाक्टर की नियुक्ति अविलंब करने की मांग की गई है।

मैराथन में कांकेर के गजेंद्र करेंगे प्रदेश का प्रतिनिधित्व

कांकेर, 5 सितंबर। देश के विभिन्न नगरों में आगामी माह से आयोजित मैराथन दौड़ के लिए के नगर के मैराथन मेन गजेंद्र यादव को आमंत्रण मिला है।

दौड़ दिल्ली, भोपाल, इलाहाबाद, कलकत्ता, चेन्नई, पुणे, मुंबई, तिरूअनंतपुरम् सहित देश के विभिन्न शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें भाग लेने वाले धावकों का स्वागत पूंजीपति अनिल अंबानी द्वारा किया जावेगा जो स्वयं एक धावक हैं। मैराथन मेन गजेंद्र यादव छग राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे।

एसपी यादव वाहन दुर्घटना में बाल-बाल बचे

छत्तीसगढ़ संवाददाता

कांकेर, 5 सितंबर। राजमार्ग-43 में जैसाकर्रा के पास पुलिस अधीक्षक की जिप्सी के सामने भैंस आकर टकरा गई जिससे भैंस की मौके पर ही मौत हो गई। वाहन मामूली क्षतिग्रस्त हुआ है।

मिली जानकारी के अनुसार हैदराबाद ट्रेनिंग में शामिल होने के लिए कांकेर पुलिस अधीक्षक अजय यादव रविवार की सुबह जिप्सी क्रमांक सीजी-03/1730 में रायपुर जा रहे थे कि लगभग 5.30 बजे जब वे ग्राम जैसाकर्रा के पेट्रोल पम्प के पास पहुंचे रोड किनारे से दौड़ता हुआ एक भैंस आकर वाहन से टकरा गया। भैंस की मौके पर ही मौत हो गई जबकि चालक ने जिप्सी को नियंत्रित कर लिया जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। घटना की जानकारी मिलते ही चारामा थाने से पुलिस अमला मौके पर पहुंचा और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को टोचन कर कांकेर भिजवाया तथा पुलिस अधीक्षक श्री यादव दूसरे वाहन में रायपुर के लिए रवाना हो गये।